Rcms 2018/00147

मिसल नं0 8/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम भूली बाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी कोटसुवा तहसील दीगोद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम कोटसुवा के पूर्व ख0 नं0 438 हाल ख0 नं0 1318 व ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद के ख0 नं0 389 सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत् 2013–2031 मे किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज खाता सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड थी ।सम्वत् 2043–62 बन्दोबस्त मे ख0 नं0 438 के स्थान पर 504 किस्म नहरी प्रथम दर्ज हो गई । 504 पर भू सुधार होने के बाद नवीन ख0 नं0 1318 ग्राम कोटसुवा मे तथा शेष भूमि ख0 नं0 389 ग्राम मण्डावरी मे दी गई । अतः खाता सं0 410 ग्राम कोटसुवा व खाता सं0 136 ग्राम मण्डावरी की प्रविष्टि व नामान्तकरण संख्या 88 वाके ग्राम कोटसुवा निरस्त किये जाने योग्य है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । अतः उक्त भूमि गै0 मु0 तलाई राजकीय खाते मे दर्ज करने का निवेदन किया गया । रेफरेन्स प्रा0 पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । आपके कार्यालय द्वारा तामील कुन्दाओं की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी भूलीबाई कोटसुवा तहसील दीगोद मे नही रहती है । पत्रावली मे ग्राम मण्डावरी की आराजी के गत खसरा नम्बर जिसमे किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न नही है । जिससे ज्ञात हो सके कि ग्राम मण्डावरी की आराजी पूर्व मे गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अप्राथी का सही पता अंकित करते हुए एवं ग्राम मण्डावरी की आराजी के गत खसरा नम्बर जिसमे किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	